FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई   मुकाम अराई (अजमेर)

• मंजू पत्नी शिवप्रसाद उर्फ गोपाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा तहसील अराई जिला अजमेर राज व अन्य। –प्रार्थी

बनाम

• कन्हैयालाल पुत्र सुगनचन्द, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य –अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– धारा 131, 136 भू.राज.अधि. 1956

दर्ज क्रमांक 79/2024

ऑनलाइन नंबर 2024/ 88...

वकील प्रार्थी :– योगेश शर्मा   **वकील अप्रार्थीगण......................**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18/7/24	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राज. अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली 20/9/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अराई	
20/9/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थीगणों के तामिलशुदा सम्मन अप्राप्त वास्ते तलबी इत्तला पत्रावली 18/10/2024 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)	
18/10/24	पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारान उप. / C.I.G.I.R...हेतु समन नाम/वास्ते तलबी...पत्रावली दिनांक 21/11/24...को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अराई	

नंबर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

18/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वास्ते इंतजार मौका रिपोर्ट हेतु
पत्रावली दिनांक 3/9/25 को पेश हो

WB
उपखण्ड अधिकारी
अरांई

3.9.25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। वास्ते इंतजार मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 17/9/25 को पेश हो।
WB

17/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। वास्ते इंतजार मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 24/9/25 को पेश हो।
WB

24/9/25. पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। मौका रिपोर्ट प्राप्त नही हुई। इंतजार मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 3/10/25 को पेश हो।
WB

3/10/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप.
मौका रिपोर्ट हेतु
पत्रावली दिनांक 10/10/25 को पेश हो

WB
उपखण्ड अधिकारी
अरांई

10/10/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप.
पेशकार मौका जांच प्राप्त वास्ते बहस हेतु
पत्रावली दिनांक 17/10/25 को पेश हो

WB
उपखण्ड अधिकारी
अरांई

17/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी का वाद [illegible] निर्णय पृथक से [illegible] में शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] पूर्ण होकर दफ्तर में जमा हो।
WB

न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 79/2024

1. मंजू पत्नी शिवप्रसाद उर्फ गोपाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर राज,

2. सुमन पुत्री शिवप्रसाद उर्फ गोपाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर राज,

3. मनीष पुत्र शिवप्रसाद उर्फ गोपाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर राज,

4. कौशल पुत्र शिवप्रसाद उर्फ गोपाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई जिला अजमेर राज, सर्व हालनिवासीगण ब्यावर जिला ब्यावर

–प्रार्थी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र सुगनचन्द जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर राज,

2. नाबालिग आर्यन दाधीच पुत्र संदीप संरक्षक माता बसंती जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर राज,

3. नाबालिग आर्या दाधीच पुत्र संदीप संरक्षक माता बसंती जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर राज,

4. नाबालिग आराध्या दाधीच पुत्री संदीप माता बसंती जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर राज,

5. कमला पुत्री रतनलाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर राज,

6. कलावती पुत्री रतनलाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर राज,

7. कैलाश पुत्र सुगनचन्द जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील जिला अजमेर राज, अरांई,

8. किशनी पत्नी रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर राज,

9. घनश्याम पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई. जिला अजमेर राज,

10. दामोदर पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई. जिला अजमेर राज,

11. पुरूषोतम पुत्र सुगनचन्द (फौत)

11 (1)–सम्पति देवी पत्नी पुरूषोतम जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम शाहपुरा मौहल्ला, मालियों की चोपड विश्वकर्मा मन्दिर ब्यावर जिला अजमेर राज,

11 (2)– भगवती पुत्री पुरुषोतम जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम शाहपुरा मौहल्ला, मालियों की चोपड विश्वकर्मा मन्दिर ब्यावर जिला अजमेर राज,

11 (3)–गोविन्द पुत्र पुरुषोतम जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम शाहपुरा मौहल्ला, मालियों की चोपड विश्वकर्मा मन्दिर ब्यावर जिला अजमेर राज,

11 (4)–मंजू पुत्री पुरुषोतम जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम शाहपुरा मौहल्ला, मालियों की चोपड विश्वकर्मा मन्दिर ब्यावर जिला अजमेर राज,

WD

11 (5)–चन्द्रशेखर पुत्र पुरूषोतम (फौत)

11 5–(1)–लाड देवी पत्नी चन्द्रशेखर

11 5–(2)–योगिता पुत्री चन्द्रशेखर सर्वजातिगण ब्राह्मण, सर्वनिवासीगण शाहपुरा मौहल्ला, मालियों की चोपड विश्वकर्मा मन्दिर ब्यावर जिला ब्यावर राज,

12. बसंती पत्नी स्व. संदीप जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर राज,

13. मनीष पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर राज,

14. रामावतार पुत्र सुगनचन्द जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई. जिला अजमेर राज,

15. सत्यनारायण पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर राज,

16. सीताराम पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर राज,

17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, अरांई, जिला अजमेर, राज.

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय दिनांक 17.11.25

वकील प्रार्थी – योगेश शर्मा

वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास दिनांक 20 जुलाई 2009 को हो गया व अप्रार्थीगण 1 लगायत 16 के कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की कृषि वाके ग्राम लाम्बा पटवार क्षेत्र लाम्बा, भू.अ.नि.क्षे. लाम्बा, तहसील अरांई जिला अजमेर, राज. में स्थित है, जो निम्न वर्णित हैः–

खाता संख्या नया पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
349 320	1430	1.6673	चा0डोल हे0 चाही 3 1.0360 बंजर 1 0.3318 बारानी 1 0.1781
	1433	1.7806	चा0डोल 0.0728 चाही3 0.7770 नहरी 1 0.3723 बंजर 2 0.5585

कुल किता 02 का कुल रकबा 3.4479 हैक्टेयर जिसमे प्रार्थी का 1/18 हिस्सा निहित है

उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के पिता की सहखातेदारी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के पिता का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमे प्रार्थीगण का नाम गोपाल शर्मा पुत्र सुगनचन्द के बजाय शिवप्रसाद पुत्र सुगनचन्द दर्ज कर दिया गया था, प्रार्थीगण के पिता का नाम गोपाल शर्मा पुत्र सुगनचन्द के स्थान पर शिवप्रसाद पुत्र सुगनचन्द नाम की त्रुटि आज तक चली आ रही है।प्रार्थीगण के पिता का सही नाम "गोपाल शर्मा पुत्र सुगनचन्द" है, किन्तु त्रुटिवश सहवन से राजस्व रिकार्ड में विरासत नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थीगण के पिता का नाम अंकन करते समय "शिवप्रसाद पुत्र सुगनचन्द" लिख दिया गया। जो कि गलत है।प्रार्थीगण के पिता को दो नाम से जाना व पहचाना जाता था, तथा प्रार्थीगण के पिता को शिवप्रसाद पुत्र सुगनचन्द व गोपाल शर्मा पुत्र सुगनचन्द के नाम से कुछ परिवार वाले प्यार से शिवप्रसाद के नाम से बुलाते थे लेकिन कुछ परिवार वाले गोपाल शर्मा के नाम से बुलाते थे प्रार्थीगण के पिता का सही नाम सभी दस्तावेजो में गोपाल शर्मा पुत्र सुगनचन्द है। प्रार्थीगण के पिता का नाम जारी ड्रावर लाईसेन नम्बर 36/क्स्ड/03/1348, जारी परिवार राशन कार्ड संख्या 669 व आर्थिक

WD

एवं सांख्यिकी निदेशालय से प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र पटवारी मौका पर्चा रिपोर्ट में तथा अन्य में प्रार्थीगण कि पिता का नाम गोपाल शर्मा पुत्र सुगनचन्द, अंकित है तथा खसरा संख्या 1430,1433 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम सहवन् से शिवप्रसाद पुत्र सुगनचन्द दर्ज हो गया है। प्रार्थीगण के पिता को उक्त विरासत नामान्तरण से दर्ज गलत नाम के त्रुटि की जानकारी नही थी। प्रार्थीगण ने दिनांक 10 नवम्बर 2022 को जब जमाबन्दी की नकल ली तब प्रार्थीगण को जानकारी में आया की राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश उनके स्वर्गीय पिता का नाम गोपाल शर्मा पुत्र सुगनचन्द के स्थान पर शिवप्रसाद पुत्र सुगनचन्द दर्ज हो रखा है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता के गलत नाम की प्रविष्टि को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत इन्द्राज होने से प्रार्थीगणें को काफी परेशानियां हो रही है।पैरा संख्या–1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थीगणें के पिता का नाम विरासत नामान्तरण दर्ज प्रविष्टि "शिवप्रसाद पुत्र सुगनचन्द "के स्थान पर प्रार्थीगणें के पिता का सही नाम से प्रविष्टि "गोपाल शर्मा पुत्र सुगनचन्द" अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक है, इसलिये प्रार्थीगणें के लिये यह नाम दुरूस्ती की घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वाद कारण दिनांक को राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी की नकल प्रार्थीगण द्वारा लेने पर गलत इन्द्राज की जानकारी प्रार्थीगण को होने पर उत्पन्न हुआ जो गलत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वाद कारण सतत् रूप से जारी है। जमाबन्दी में दर्ज क्रमांक संख्या 13 भवंरगोपाल पुत्र सुगनचन्द का हिस्सा 01/18 की मृत्यु हो चुकी है तथा कोई जायन्दा वारिसान नहीं है. इस कारण सुगनचन्द के वारिसान ही पक्षकार है। जो कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी व अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार है।अप्रार्थीगण क्रमांक संख्या 17 को भू–स्वामी होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

पत्रावली दिनांक 18.7.2024 को दर्ज रजिस्टर की गई । दिनांक 31.1.2025 को तामिलशुदा सम्मन नोटिस प्राप्त हुए किन्तु प्रतिवादीगण अनु0 । प्रतिवादीगण बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 20.8.2025 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । तहसीलदार अराई का मौका रिपोर्ट प्राप्त हुआ । तहसीलदार अराई की मौका रिपोर्ट अनुसार शिवप्रसाद पुत्र सुगनचन्द व गोपाल पुत्र सुगनचन्द जाति ब्राहमण दोनो व्यक्ति एक होना बताया गया । राजस्व रिकार्ड मे शिव प्रसाद के स्थान पर गोपाल शर्मा किया जाना उचित है । हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अरांई के जवाब तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार एवं ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा तहसील अराई की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम लाम्बा के खसरा नं0 1430 व 1433 में राजस्व रिकार्ड मे शिवप्रसाद पुत्र सुगनचन्द के स्थान पर गोपाल शर्मा पुत्र सुगनचन्द की शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट अन्तिम आदेश का भाग रहेगी तथा उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दुरूस्ती की जायेगी। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

WD
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)